राजस्थान सरकार

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

क्रमांकः–प.2(20ब)स्टोर/2025/4046 दिनांकः 23/01/2025

–:: निविदा सूचना ::–

कार्यालय में निम्नांकित कार्य के लिये सक्षम ठेकेदारों से वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित दिनांक 05.02.2025 को प्रातः 10:00 बजे तक बेचे जाकर 11.00 बजे तक निविदाएँ प्राप्त की जाकर उसी दिवस 12.00 बजे कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

निविदा प्रपत्र निविदा शुल्क जमा कराने पर, निविदा प्रकाशित होने के पश्चात कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

निविदा क्रमाक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा खोलने की दिनांक	कार्य की अवधि
01	अनुबन्ध दर से कार्यालय की सफाई व्यवस्था करने का कार्य मय सामग्री।	5.00	शून्य	200.00	05.02.2025	28.02.2026 तक

नियम व शर्ते कार्यालय समय में कार्यालय आकर अथवा SPP Portal पर देखी जा सकती है।

निदेशक
राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अजमेर।

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13133436

कार्यालय :– राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

"जी" शिडयूल

संवेदक का नाम.....
अनुमानित लागत रू0 5.00 लाख

अमानत राशि रू0 शून्य

निविदा शुल्क रू0 200/–
निविदा जमा कराने की तिथि व समय
05/02/2025 व 11:00 PM
निविदा खोलने का दिनांक व समय
05/02/2025 व 12:00 PM
संविदा समयावधि 01 मार्च, 2025 से
28 फरवरी, 2026

कार्य का नाम :– **अनुबन्ध दर से कार्यालय की सफाई व्यवस्था करने का कार्य।**

कार्यालय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर रोड पर स्थित भवन आधुनिक साजो सामान से जिसमें इस भवन में भूतल के अलावा दो मंजिला हॉस्टल, नवीन निर्मित भवन एवं गेस्ट हाऊस, कान्फ्रेन्स हॉल निर्मित है। भूखण्ड में निर्मित इस भवन के चारों ओर खुली जगह है, जिसमें पेड पौधे, बगीचा, सीमेन्ट रोड आदि बने हुए है।

इस भवन व परिसर को साफ सुथरा रखने हेतु दैनिक सफाई की व्यवस्था की जानी है, जिसके लिये दिनांक 28.02.2026 तक के लिये अनुबंध निष्पादित किया जाना है। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित विवरणानुसार कार्य कराया जाना है:–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	साफ सफाई में प्रयुक्त की जाने वाली समस्त सामग्री की राशि प्रतिमाह	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज की कुल राशि प्रतिमाह	कुल राशि प्रतिमाह
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि	13 प्रतिशत	4 प्रतिशत	*	**	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	संस्थान परिसर एवं परिसर में स्थित समस्त भवनों की साफ सफाई का कार्य	अकुशल	7410/– प्रतिमाह प्रति श्रमिक	05	37050/–	4817/–	1482/–			

* **इस कॉलम में राशि का अंकन निविदा के बिन्दु संख्या 35 को ध्यान में रखते हुए करें।**

** **इस कॉलम में राशि का अंकन निविदा के बिन्दु संख्या 43 को ध्यान में रखते हुए करें।**

नियम, शर्ते व अनुबंध :–

1. **श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।**

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13133436

2. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस. आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
3. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी।
4. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध श्रम विभाग की अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** किराने की कार्यवाही करेगी।
5. निविदादाता को निविदा भरते समय, नियम, शर्तें, अनुबंध व कार्य के विवरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये। किसी भी प्रकार की शंका का निवारण, निविदा भरने से पूर्व प्रभारी अधिकारी भण्डार से कर लेना चाहिये।
6. निविदा सूचना में वर्णित निर्देशों के अनुरूप यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द कर, निर्धारित समय में निविदा प्रस्तुत करनी होगी। निविदा में प्रस्तुत की गई दरों को शब्दों में भी अवश्य लिखनी होगी। निविदादाता के द्वारा दी गई अन्य कोई भी शर्तें अमान्य होगी। निविदा के साथ अमानत राशि के स्थान पर 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें ठेकेदार द्वारा ठेका स्वीकृत होने पर धरोहर राशि के रूप में जमा कराने का बचन देना होगा। बिना शपथ पत्र के निविदा निरस्त योग्य है।
7. निविदादाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता मय टेलिफोन नम्बर अंकित करेगा ताकि उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय पर वह स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ होता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता मय टेलिफोन नम्बर सूचित करेगा जो कि कार्यालय में उपस्थित रहेगा ताकि कार्य के प्रयोजन हेतु सम्पर्क किया जा सके।
8. निविदादाता द्वारा निविदा में भरी हुई दरें सभी करों को सम्मिलित करते हुए मानी जायेगी। निविदा में भरी हुई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13133436

9. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी भी एक को अधिकृत किये जाने की स्थिति में इसके लिये पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
10. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली संवचना के कारण निविदा अमान्य मानी जायेगी।
11. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक करार कार्यादेश की रूपये 500/– के नोन ज्युडीशियल स्टाम्प निष्पादित करना होगा तथा कार्यादेश की 5 प्रतिशत धरोहर राशि रू. 20,000/– की एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में जमा करानी होगी।
12. अनुबन्ध प्रारम्भ होने से 28/02/2026 तक के लिये होगा। जिसे आपसी सहमति से RTPP नियमो के प्रावधानो के अनुसार बढाया जा सकेगा।
13. सक्षम अधिकारी को निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने/रद्द करने का अधिकार होगा।
14. निविदादाता द्वारा सफाई कार्य निष्पादन के आवश्यक सुपरविजन में एवं नियोजित कर्मचारियों पर उसका ही सीधा नियंत्रण होगा। इसमें प्रधान नियोक्ता का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी दायित्व नहीं होगा।
15. निविदादाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों द्वारा किसी भी कार्य, भूल चूक अथवा प्राधिकार के लिये प्रधान नियोक्ता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा एवं इस बाबत् कोई भी वाद/क्लेम इसके विरूद्ध दायर नहीं किया जा सकता। फिर भी यदि किसी विधान के अन्तर्गत प्रधान नियोक्ता को किसी राशि, क्षतिपूर्ति अथवा जुर्माना आदि का भुगतान करना पडे तो उक्त राशि को मय शास्ति/ब्याज निविदादाता के देय भुगतान या अन्य स्त्रोतो से नियमानुसार काट लिया जायेगा।
16. कार्य निष्पादन में नियोजित कर्मियो को कार्य अवधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुपालना न होने पर अनुबंध विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
17. निविदादाता को नियोजित कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका कार्यालय में हर समय निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवानी होगी। निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों की स्थिति में क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रत्येक कर्मचारी के 300/– रू. प्रतिदिन के हिसाब से निविदादाता के देय भुगतान में से कटौति की जावेगी।
18. यदि निविदादाता द्वारा किसी भी नियम, शर्त, अनुबंध की पालना नहीं की जाती है तो कार्यालय प्रबंधन, अनुबंध को निरस्त करने अथवा चुनौती जारी (नोटिस) जारी करने के लिये स्वतंत्र होगा। जिसकी वसूली निविदादाता के देय भुगतान अथवा अमानत राशि में से की जा सकेगी।

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13133436

19. निविदादाता को प्रतिदिन 5 (पांच) कर्मचारियों को नियोजित करना होगा जिनका कार्य समय अनुसार होगा जो कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता होने पर प्रभारी अधिकारी भण्डार द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

(अ) प्रात 8.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

(ब) अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

कार्यालय के कार्य दिवस के अतिरिक्त भी कर्मचारियों को सभी टॉयलेट एवं बाहरी कैम्पस क्षेत्र की सफाई के लिये लगाना होगा।

15–A रविवार का अवकाश देय होगा।

15–B सफाई कर्मी द्वारा समयावधि में नही आने पर प्रतिघण्टे देय मजदूरी के आधार पर कटौती की जावेगी।

20. सफाई कार्य हेतु आवश्यक झाड़ू, पोचा, कचरा ढोने हेतु ट्रॉली, जाले हटाने हेतु बांस की सीढी, तार, सरिया एवं अन्य यंत्रो व सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्य निष्पादन के लिये सफाई में उपयोग आने वाले तरल यथा फिनाईल आदि व साजो सामान यथा कीटनाशक, नेफ्थलीन की गोली आदि की व्यवस्था भी निविदादाता को करनी होगी। निविदादाता को कार्यालय के अधिकारियो के टॉयलेटस में लिक्वीड हैण्डवॉश व सभी टॉयलेटस में साबुन रखने होंगे। विभाग द्वारा बिजली व पानी ही उपलब्ध करवाया जावेगा। यदि सुचारू कार्य निष्पादन में कोई भी उपकरण निविदादाता द्वारा नहीं लाया गया तो निविदादाता की सहमति हो या न हो इसे बाजार से उसकी कॉस्ट पर विभाग द्वारा लाया जा सकेगा जिसकी देय भुगतान में से वसूली की जावेगी।

21. निविदादाता अनुबंधित अवधि में कार्य को/कार्य के भाग को अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।

22. निष्पादित किये जाने वाले कार्य स्थल पर कार्यालय के अधिकारी अथवा उसका कोई भी प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित समय पर कार्य के निरीक्षण करने में सक्षम होगा।

23. निविदादाता द्वारा अनुबंध की शर्तो की पालना के अधीन कार्य का भुगतान मासिक आधार पर होगा। निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में बिल बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कार्य का भुगतान अग्रिम रूप में नहीं होगा। निविदादाता को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के तहत आयकर, स्रोत पर ही काटा जावेगा।

24. समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा संस्थित किये जाने की अवस्था होने पर अजमेर में स्थिति न्यायालयों में ही प्रारम्भ करनी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Meena
Designation : Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13133436

25. कार्य का निष्पादन संलग्न आवर्ती चार्ट के अनुसार करना होगा एवं प्रभारी अधिकारी भण्डार को निरीक्षण करवाना होगा। कार्य को निर्धारित गुणवत्ता के नहीं पाये जाने, असंतोष ढंग से करने, अधूरा छोडने की स्थिति में निर्देशानुसार पुनः करना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। कार्य का निष्पादन पूर्णतः असंतोषजनक होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं शेष अवधि के कार्य को अन्य एजेन्सी के द्वारा निविदादाता के हर्जा–खर्चा पर करवा लिया जावेगा जिसकी नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।
26. ठेकेदार श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए जिसके प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
27. GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं PAN CARD की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
28. सफाई व्यवस्था में सामग्री के अभाव की शिकायत पाई जाने पर ठेकेदार को सामग्री के पेटे प्रति माह देय राशि अथवा 1000/–रूपये जो भी अधिक हो की कटौती ठेकेदार के देय राशि से की जावेगी।
29. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
30. निर्धारित समयावधि पश्चात् निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक से भिजवाई जाने वाली निविदाऐं विलम्ब से प्राप्त होने पर उन्हें नहीं खोला जायेगा।
31. ठेकेदार द्वारा सफाई व्यवस्था की स्वंय निगरानी रखकर कार्य करवाना होगा।
32. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व रूल्स 2013 एवं जी.एफ. एण्ड ए.आर. के प्रावधान लागू होंगे।
33. <u>संवेदक/ठेकेदार द्वारा निविदा में साफ–सफाई में प्रयुक्त की जाने वाली समस्त सामग्री की राशि एवं सेवा प्रदाता का सर्विस चार्जेज की राशि जी शिडयूल में कॉलम संख्या 8 व 9 में अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी।</u>
34. राजस्थान अनुबंन्धिक श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), आयकर पैन नम्बर एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
35. संस्थान परिसर में स्थित ऑफिस बिल्डिंग (नई व पुरानी), होस्टल एवं मेस–गृह में स्थित समस्त कमरों, शौचालयों, डायनिंग हॉल, गैलरी, समस्त [illegible] पर सफाई का कार्य

Signature Valid
Digitally signed by Meena
Designation: Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13133436

प्रतिदिन किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री यथा झाड़ू–पौछा, ऐसिड, फिनाईल (न्यूनतम 10 लीटर प्रतिमाह), कपूर की गोलियां (न्यूनतम 500 ग्राम प्रतिमाह) ओडोनिल, लिक्विड सोप आदि आवश्यकतानुसार मात्रा में उपयोग में लेनी होगी। सामग्री की राशि युक्तियुक्त एवं उचित मूल्य में अंकित करनी होगी।

36. बिड प्रस्तुत किये जाने की आखिरी दिनांक के पश्चात् 90 दिवस तक वैद्य होनी चाहिए। उक्त अवधि से अल्प वैद्यता वाली बिड निरस्त योग्य मानी जाएगी।
37. विभाग को किसी भी बिड को, पूर्ण अथवा भाग को, अस्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त बिडों के बोलीदाताओं से कोई विचार–विमर्श नहीं किया जावेगा।
38. बोलीदाता को श्रम विभाग के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी। आवश्यक नहीं हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र श्रम विभाग से प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
39. संवेदक/बोलीदाता द्वारा सेवाओं के विवरण में दिये कार्यों हेतु लगाये गये कार्मिकों का चाल–चलन सही होना चाहिए एवं सम्बन्धित पूर्व में कोई रिकार्ड कानूनी रूप से खराब हो तो उसे इस कार्य के लिये नहीं लगाया जायेगा।
40. सफाई कार्य में कार्यालय की किसी भी सम्पत्ति/सामग्री को हानि पहुँचाने/चोरी/नुकसान की स्थिति में अनुमोदित संवेदक/बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।
41. बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय एवं बिड की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से सफाई कार्य करवाया जावेगा।
42. संविदादाता को सफाई कार्य हेतु लगाये जाने वाले व्यक्तियों का उपस्थिति रजिस्टर तैयार करना होगा एवं उपस्थित प्रत्येक दिवस को सफाई प्रभारी से स्वप्रमाणित करवानी होगी।
43. निविदादाता द्वारा सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज की राशि शून्य अथवा न्यूनतम मजदूरी की कुल राशि का 0.9999 प्रतिशत तक अंकित (Quotes) करने पर निविदा को अनुत्तरदायी (Unresponsive) मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
44. निविदादाता द्वारा सफाई में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री से संस्थान को अवगत कराना होगा।
45. संस्थान परिसर में हॉउसकीपिंन संबधी कार्य हेतु कार्मिक उपलब्ध कराने होगें।

<u>कार्य की आवृत्ति विवरणिका</u>

(1) प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से पहले तक किये जाने वाले कार्य

(अ) भूतल :–

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

ejKaj Ref No.: 13133436

(i) पार्किंग स्थल, सीढियॉं, रैम्प, रिसेप्शन रूम, अल्पाहार हॉल, भूतल के सभी कमरे मय गैलरी, समस्त टॉयलेट, डी जी सैट, मीटर रूम, गार्ड रूम, बाहरी सडक, बगीचा आदि की झाड़ू व सफाई।

(ii) समस्त प्रकार की फर्श (कोटा स्टोन/ग्रेनाईट/टाईल्स/मार्बल आदि) की झाड़ू, सफाई एवं पोंछा लगाना।

(iii) समस्त टॉयलेट्स के फर्श/वाशबेसिन/डब्ल्यू.सी. आदि की फिनाईल/डिटर्जेन्ट से धुलाई, सफाई एवं पोंछा लगाना।

(ब) प्रथम, द्वितीय तल :–

(i) प्रथम, द्वितीय तल पर स्थित सभी कमरे/हॉल मय गैलरी, समस्त टॉयलेटस, सीढियॉं आदि की झाड़ू व सफाई।

(ii) समस्त प्रकार की फर्श (कोटा स्टोन/ग्रेनाईट/टाईल्स/मार्बल आदि) की झाड़ू, सफाई एवं पोंछा लगाना।

(iii) समस्त टॉयलेट्स के फर्श/वाशबेसिन/डब्ल्यू.सी. आदि की फिनाईल/डिटर्जेन्ट से धुलाई, सफाई एवं पोंछा लगाना।

(2) प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे के बाद किये जाने वाले कार्य

(i) सभी तरह के कचरे को एकत्रित कर कार्यालय भवन के बाहर निर्धारित स्थान पर डालना।

(ii) भवन के चारों ओर खुली जगह (सी.सी.रोड़, ब्लॉक आदि) की सफाई व मुख्य सडक के सामने की तरफ झाड़ू।

(3) प्रतिदिन चार बार किये जाने वाले कार्य

(i) पैसेज, गैलरी, सीढियों में ग्रेनाईट/टाईल्स फर्श पर पोंछा लगाना।

(ii) प्रत्येक टायलेट की फर्श की धुलाई, सफाई एवं पोंछा लगाना।

(4) सप्ताह में दो बार किये जाने वाले कार्य

(i) सभी तलों पर स्थित थूकदान/पीकदान व उसके स्टेण्ड की सफाई एवं आवश्यकतानुसार मिट्टी बदलना।

(ii) सोफासेट/कारपेट की वेक्यूम क्लीनर से साफ सफाई।

(5) सप्ताह में एक बार किये जाने वाले कार्य

(I) भूतल :–

(i) दोपहिया/कार पार्किंग क्षेत्र की साबुन के घोल/डिटर्जेंट/कैरोसीन से सफाई।

(ii) सभी लकडी/एल्युमिनियम/लोहे/कॉच के दरवाजे/रोलिंग शटर/लिफ्ट की सफाई।

(iii) सभी यूरिनल/वाशबेसिन में नेफ्थलीन वॉल डालना व सभी टॉयलेटस में लिक्वीड हैण्डवॉश/साबुन रखना।

(II) प्रथम तल :–

(i) सभी लकडी/एल्युमिनियम/लोहे/कॉच के दरवाजे/रोलिंग शटर की सफाई।

(ii) सभी यूरिनल/वाशबेसिन में नेफ्थलीन वॉल डालना।

(III) छत एवं शेष कार्य :–

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13133436

(i) भवन की छत, पैराफिट, सीढी रूम, टेंक के ऊपरी सतह की सफाई।

पाक्षिक कार्य

(i) दीवारों व छतो की सफाई, जाले हटाने का कार्य।

(ii) बाहरी चारदीवारी, गेट, रेलिंग, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, स्टोन क्लेडिंग, ए.सी.पी., शाफ्ट रूम की साफ सफाई।

(iii) छत के ऊपरी स्थिति नालियों, पाईप व एयर वाशरो की बाहर से सफाई।

7. माह में एक बार किये जाने वाले कार्य

(i) छत पर रखी टंकियो की सफाई।

(ii) सभी तलों पर एल्यूमिनियम दरवाजे, खिडकियों की फिटिंग की सफाई, मैटल्स गमले, नाम पट्टिका आदि की सफाई व स्वीकृत सामग्री से पॉलिश करना।

(iii) छत, फाल्ससिलिंग, ग्रिल्स आदि की सफाई का कार्य।

(iv) सभी तलों पर अन्य संबंधित उपकरण की साफ सफाई।

8. आवश्यकतानुसार

(i) सभी तलों पर बेगोन/फिनिट व अन्य स्वीकृत कीटनाशकों का छिडकाव।

(ii) सभी तलो पर छत/दीवार/एक्जॉस्ट पंखो/ए.सी की सफाई।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निदेशक
राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
अजमेर।

घोषणा

मैंने बोली दस्तावेज में उल्लेखित उपरोक्त नियम एवं शर्तों तथा चालान कार्य का विवरण एवं अन्य शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं मुझें स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid
Digitally signed by Meenakshi Meena
Designation : Director
Date: 2025.01.23 11:46:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13133436